## Kamala Nehru College University of Delhi

Dated: 19.08.2021

Applications for Fee Concession and Stipend for the year 2021-22 are invited from the students of the College who are facing financial hardship. The prescribed form may be downloaded from the KNC website <a href="https://www.knc.edu.in/forms.php">https://www.knc.edu.in/forms.php</a>. The forms duly completed should be submitted through mail on <a href="mailto:scholarship.feeconcession@knc.du.ac.in">scholarship.feeconcession@knc.du.ac.in</a> latest by 15<sup>th</sup> September, 2021. The applicants must check the guidelines attached herewith before applying for the same.

Principal

#### Copy to:-

- 1. MTS, Computer Lab for publication on College website
- 2. Student Notice Board

## Guldelines for Fee Concession Scheme for Students of Kamala Nehru College

### How to apply

The College invites applications for Fee Concession for every academic session on college the on avallable application form prescribed (https://www.knc.edu.in/forms.php). All the desirous and eligible students will be required to submit their applications in due time period along with following selfattested documents.

- Self-attested copy of Income certificate (Current financial year) attested by employer. In case of self-employment income certificate (Current financial year) issued by the Competent Government Authority
- Self-attested copy of mark sheet of the previous examination
- Self-attested copy of the BPL card if applicable
- Cancelled cheque/front page of passbook giving account details and IFSC Code (account must be seeded with Aadhar and in the name of the student
- Copy of college I card (Optional for Freshers) and College fee receipt of the academic year for which fee concession is claimed.
- Copy of Death Certificate of parent/s if applicable
- Medical Certificate with prescriptions if parent/s is not having a job or source of income due to illness
- Category Certificate for SC, ST, OBC and EWS candidates only
- · Fee payment receipt of the current semester for which fee concession is requested.

Completed application form along with all the above stated documents to be emailed to the following college email id scholarship.feeconcession@knc.du.ac.in. Kindly mention your name and course in the subject of the email. The online procedure for fee concession is a temporary measure considering the pandemic situation of Covid-19.

## Eligibility Criteria

- The family Income from all sources should be less than Rs. 300000/- per
- The applicant should not get any other financial support such as scholarship, stipend either from the institute or an outside source.
- Those availing education loan from banks shall not be entitled for fee concession.
- The student should not have any pending back paper/re-appear/supplementary In any of the Course paper. However, the rule may be relaxed in special cases and the decision of the Committee headed by the Principal shall be final.

- The student should not be involved in any disciplinary activity in the Cóllege.
- The total number of students granted fee concession in an academic session should not exceed ten percent (10%) of the total strength of students in the academic session. Merit-based criterion will be followed if more applications for fee concession are received.
- In case of siblings, partial fee concession will be considered only.
- The students who face financial hardships due to the sudden and untimely demise of the sole earning member of their family will be considered for 100% waiver of Annual Fee, (Excluding University charges) provided such students are not involved in disciplinary activity.
- All PWD students satisfying the conditions laid out are exempted from paying the annual fee.

#### Points to Note

- The Applicants will have to submit recommendation from their respective departments along with the application.
- Fee concession may be withdrawn from the student if found guilty of misconduct, in case of irregular attendance and poor performance in the academic session.
- Fee concession and financial assistance will not be renewed if the student is not promoted to semester on the basis of university exam.
- If a student eventually gets any other scholarship and if (a)the amount exceeds the final
  assistance given to her by the college, the assistance will be withdrawn; and (b) if the
  scholarship amount falls short of the college assistance, only the balance shall be paid.
- In case, if a Student availing financial assistance from college decides to withdraw from
  the college, she will be treated as an ordinary student and will be charged as per rule.
  The Principal will have the power to Waive this charge whenever it is absolutely
  necessary.

# कमला नेहरू कॉलेज के छात्रों के लिए शुल्क रियायत योजना के लिए दिशानिर्देश:

## आवेदन कैसे करें

कॉलेज प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के लिए कॉलेज की वेबसाइट (https://www.knc.edu.in/forms.php) पर उपलब्ध निर्धारित आवेदन पत्र पर शुल्क रियायत के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। सभी इच्छुक और पात्र छात्रों को निम्नलिखित स्व-सत्यापित दस्तावेजों के साथ नियत समय अवधि में अपने आवेदन जमा करने होंगे।

- नियोक्ता द्वारा सत्यापित आय प्रमाण पत्र (वर्तमान वितीय वर्ष) की स्व-सत्यापित प्रति। सक्षम शासकीय प्राधिकारी द्वारा जारी स्वरोजगार आय प्रमाण पत्र (चालू वितीय वर्ष) के मामले में
- पिछली परीक्षा की मार्कशीट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी
- यदि लागू हो तो बीपीएल कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति
- खाता विवरण और IFSC कोड देने वाले पासबुक का रद्द चेक/फ्रंट पेज (खाता आधार के साथ और केवल छात्र के नाम पर होना चाहिए)
- कॉलेज पहचान पत्र की प्रति (नए छात्रों के लिए वैकल्पिक) और शैक्षणिक वर्ष की कॉलेज शुल्क रसीद जिसके लिए शुल्क रियायत का दावा किया गया है।
- माता-पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति यदि लागू हो
- यदि माता-पिता के पास नौकरी नहीं है या बीमारी के कारण आय का स्रोत नहीं है, तो नुस्खे के साथ चिकित्सा प्रमाणपत्र
- केवल एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए श्रेणी प्रमाणपत्र
- वर्तमान सेमेस्टर की शुल्क भुगतान रसीद जिसके लिए शुल्क रियायत का अनुरोध किया गया है उपरोक्त सभी दस्तावेजों के साथ पूरा आवेदन पत्र निम्नलिखित कॉलेज ईमेल आईडी छात्रवृति

पर ईमेल किया जाना है।feeconcession@knc.du.ac.in। कृपया ईमेल के विषय में अपना नाम और पाठ्यक्रम का उल्लेख करें। शुल्क रियायत के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया कोविड-19

की महामारी की स्थिति को देखते हुए एक अस्थायी उपाय है।

## पात्रता मापदंड

- सभी स्रोतों से पारिवारिक आय रुपये से कम होनी चाहिए। 300000/- प्रति वर्ष।
- आवेदक को संस्थान से या किसी बाहरी स्रोत से छात्रवृति, वजीफा जैसी कोई अन्य वितीय सहायता नहीं मिलनी चाहिए।
- बैंकों से शिक्षा ऋण प्राप्त करने वाले शुल्क में छूट के पात्र नहीं होंगे।
- छात्र के पास किसी भी पाठ्यक्रम के पेपर में कोई भी बैक पेपर/पुनः उपस्थित/पूरक नहीं होना चाहिए। तथापि, विशेष मामलों में नियम में ढील दी जा सकती है और प्राचार्य की अध्यक्षता वाली समिति का निर्णय अंतिम होगा।
- छात्र को कॉलेज में किसी भी अनुशासनात्मक गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए।
- एक शैक्षणिक सत्र में शुल्क में छूट प्रदान किए गए छात्रों की कुल संख्या शैक्षणिक सत्र में छात्रों की कुल संख्या के दस प्रतिशत (10%) से अधिक नहीं होनी चाहिए। शुल्क रियायत के लिए अधिक आवेदन प्राप्त होने पर योग्यता आधारित मानदंड का पालन किया जाएगा।
- भाई-बहनों के मामले में, आंशिक शुल्क रियायत पर ही विचार किया जाएगा।
- जिन छात्रों को अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य की अचानक और असामयिक मृत्यु के कारण वितीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उन्हें वार्षिक शुल्क (विश्वविद्यालय शुल्क को छोड़कर) में 100% छूट के लिए विचार किया जाएगा, बशर्ते ऐसे छात्र अनुशासनात्मक गतिविधि में शामिल न हों।
- सभी पीडब्ल्यूडी छात्रों को वार्षिक शुल्क का भुगतान करने से छूट दी गई है।

## ध्यान देने योग्य बातें

- शैक्षणिक सत्र में अनियमित उपस्थिति और खराब प्रदर्शन के मामले में कदाचार का दोषी पाए जाने पर छात्र से शुल्क रियायत वापस ली जा सकती है।
- यदि छात्र को विश्वविद्यालय परीक्षा के आधार पर सेमेस्टर में पदोन्नत नहीं किया जाता है, तो शुल्क रियायत और वितीय सहायता का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।
- यदि किसी छात्र को अंततः कोई अन्य छात्रवृत्ति मिलती है और यदि (ए) राशि कॉलेज द्वारा उसे दी गई अंतिम सहायता से अधिक है, तो सहायता वापस ले ली जाएगी; और (बी) यदि छात्रवृत्ति राशि कॉलेज सहायता से कम हो जाती है, तो केवल शेष राशि का भुगतान किया जाएगा।

• यदि कॉलेज से वितीय सहायता प्राप्त करने वाली कोई छात्रा कॉलेज से हटने का फैसला करती है, तो उसे एक सामान्य छात्र के रूप में माना जाएगा और उससे नियमानुसार शुल्क लिया जाएगा। जब भी अति आवश्यक हो, प्राचार्य के पास इस शुल्क को माफ करने का अधिकार होगा।